फर्द अहकाम

न्यायालय — उपजिलाधिकारी [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष : _____ / 12 / 20 [illegible]

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/9/22	1 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/[illegible] 1 पक्षकार [illegible] वाले वकील / [illegible] दिनांक 24/11/22 को पेश हो।
	24/11/22	[illegible] 07/02/23
	7/2/23	वकील वादी उप० [illegible] 16/5/23
	16/5/23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्षकार [illegible] वाले वकील / [illegible] दिनांक 4/10/23 को पेश हो।
	4/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादोत्तर अनुपस्थित इनको बार बार आवेदन लगाकर बुलाये जाने पर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः वकील वादी व वादोत्तर के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली वादक होगी व वादग्रस्त भूमि के लावारिस की पायी है। पत्रावली बेनाम दाखिल होकर नामकरण अमल हो तथा वादग्रस्त होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपजिलाधिकारी [illegible]